न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 131 / 224
निर्णय दिनांक : 24.05.2024

1. अल्पा पुत्री स्व.श्री मुखाराम पत्नि श्री बलजेन्द्र शर्मा निवासी मकान नम्बर 1102, ज्वेल ऑफ इण्डिया, मिलाप नगर, जे एल एन मार्ग, राजस्थान हॉस्पिटल के पीछे, जयपुर।
2. कल्पना कादियान पत्नि श्री सुरेश कादियान पुत्री स्व.श्री मुखाराम निवासी–7. जयजवान कॉलोनी, स्कीम नम्बर–1, टोंक रोड़, जयपुर।
3. मानवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मुखाराम निवासी मकान नम्बर 58, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. ललित चौधरी पुत्र स्व.श्री मुखाराम निवासी मकान नम्बर 58, टोंक रोड़, ऑटो सर्विस सेन्टर के पास, मानसिंहपुरा, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. विजय लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री मुखाराम चौधरी रेजिडेंट मकान मालिक 1102, ज्वेल ऑफ इंडिया, मिलाप नगर, जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान हॉस्पिटल के पीछे, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् नक्शा दुरुस्ती इन्द्राज

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दहलावास, पटवार हल्का, श्योपुर, भू अभिलेख क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित खाता संख्या नया 37 व खाता संख्या पुराना 35 के खसरा नम्बरान 385 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 एवं खसरा नम्बरान 387 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही 3 स्थित है जो वर्तमान में वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमल चली आ रही है। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर द्वारा वादीगण की उपरोक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 385 व 387 में से 2.70 हैक्टेयर भूमि एक्वायर की गई जिसका कब्जा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज़ डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 16.10.2002 को प्राप्त किया गया तथा खसराा नम्बर 385 का नया खसरा नम्बर 385/1 तथा खसरा नम्बर 387 का नया खसरा नम्बर 387/1 राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अमल दराज किया गया। अर्थात [illegible] वादी का खसरा नम्बर 385 व 387 पर पूर्ण रूप से कब्जा काश्त था। राजस्थान [illegible] लिमिटेड ने दिनांक 16.10.2002 को वादी की उपरोक्त कब्जा काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 385 व 387

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

से 2.70 हैक्टेयर भूमि एक्वायर कर ली। उसके उपरांत राजस्व विभाग ने मूल खसरा नम्बरान को चार खसरा नम्बर में विभाजित कर दिया जिसमे नये खसरा नम्बर 385, 387, 385/1, 387/1, मे बने राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक्वायर भूमि को छोड़ने के बाद वादी की भूमि इन मूल खसरा नम्बर 385 व 387 के उत्तर दिशा में स्थित रही जिस पर वादी कब्जा काश्त रहा जिसमे नये नं. 385/1 व 387/1 है। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड उक्त भूमि में मूल खसरा नम्बर 385/387 के दक्षिण दिशा में काबिज रहा है। वादी व प्रतिवादी अपने-अपने खसरा नम्बर पर काबिज होने के उपरांत भी राजस्व विभाग ने वादी की भूमि जो उत्तर दिशा में स्थित थी उसको गलती से नक्शे में दक्षिण दिशा मे दर्शा दिया गया तथा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को नक्शे में उत्तर दिशा में दर्शा दिया गया जबकि वास्तविकता में वादी के खसरा नम्बर 385/387 को मूल खसरे के उत्तरी दिशा में नक्शा दर्ज करना चाहिए था। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मूल खसरा नम्बर 385/1 व 387/1 के दक्षिण दिशा में दर्ज करना चाहिए था जोकि आज दिनांक तक की भूमि की वास्तविक स्थिति है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर में व मौके की स्थिति व भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में वादी व राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का किसी भी प्रकार का वाद विवाद नही है। गत 22 वर्षो से वादी अपनी उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है व उसका लगातार उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी अवाप्तशुदा भूमि के ऊपर चारों तरफ पक्की दीवार बना रखी है व बिना किसी वाद विवाद के उक्त अवाप्तशुदा भूमि को अन्य संस्थाओं को आवंटन कर दिया गया जिसमे वादी व व प्रतिवादी का कोई वाद विवाद नही है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि की जमाबंदी व नक्शा ऑन लाईन निकलवाया तब ज्ञात हुआ कि राजस्व विभाग की त्रुटि के कारण वादी की भूमि जो नक्शे में उत्तर दिशा में स्थित है को दक्षिण दिशा में नक्शे में अंकित कर रखा है जोकि वास्तविकता से परे है व गलत है तथा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमि को उत्तरी दिशा में नक्शे में अंकित कर रखा है जोकि मौके की वास्तविक स्थिति व वादी जिस जमीन पर काबिज है उससे भिन्न अंकित है। दिनांक 15.04.2024 को वादी द्वारा उक्त भूमि के दस्तावेज की नकल प्राप्त की गई तथा प्रतिवादी से राजस्व नक्शे में दौराने सैटलमेन्ट त्रुटि हो जाने के कारण उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय सांगानेर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विषय "आन लाईन नक्शा दुरूस्ती बाबत था जो कि दिनांक 20.04.2024 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर गिरदावर सांगानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रतिवादी (तहसीलदार सांगानेर) को प्रस्तुत करते हुए यह अंकित किया गया कि उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शा लट्ठा मे की हुई है परन्तु तरमीम सम्बन्धी आदेश का नोट नक्शा लट्ठा मे दर्ज नही है तथा नामांतकरण [illegible] जाजीरी नक्शा भी दर्ज नही है। इस प्रकार प्रकरण में [illegible] नक्शा लटठा व ऑन लाईन नक्शा में समान ही [illegible] प्रकरण में [illegible] न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित होगा जिसके का[illegible] श्रीमान् न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। गिरदावर महोदय द्वारा दी गई रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि वाद के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

अनुतोषः—

प्रतिवादी इस आशय की नक्शा दुरूस्ती फरमायी जावे कि राजस्व विभाग ने जो त्रुटि के कारण वादी की कब्जा काश्त की भूमि जो नक्शे में दक्षिण दिशा में दर्शा रखा है। उसको सही किया जावे व वादी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि को उत्तर दिशा में खसरा नम्बर दर्ज किया जावे व प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि व उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा में की हुई है। उसकी तरमीम नोट नक्शा लट्ठा में दर्ज करे तथा नामांतकरण पर नजीरी नक्शा भी दर्ज करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाने पर वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दहलावास, पटवार हल्का, श्योपुर, भू अभिलेख क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित खाता संख्या नया 37 व खाता संख्या पुराना 35 के खसरा नम्बरान 385 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 एवं खसरा नम्बरान 387 रकबा 0.2700 हैक्टेयर किस्म चाही 3 स्थित है, में वादी की कब्जा काश्त की भूमि जो नक्शे में दक्षिण दिशा में दर्शा रखा है, उसको सही किया जावे व वादी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि को उत्तर दिशा में खसरा नम्बर दर्ज किया जावे व उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नक्शा लट्ठा में की हुई है, उसकी तरमीम नोट नक्शा लट्ठा में दर्ज करे तथा नामांतकरण पर नजीरी नक्शा भी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर—द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:45:18 IST
Reason: SelfAttested